

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil First Appeal No. 52/2018

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री लोकेश तिवारी।

:: आदेश ::

05.02.2019

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र संख्या—6796/2019 अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी मूल्या की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप उसके विधिक उत्तराधिकारीगण को अभिलेख पर लिये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र एवं योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी की अनापत्ति को ध्यान में रखते हुए उक्त विविध प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और मृतक के विधिक उत्तराधिकारीगण को अभिलेख पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

संशोधित शीर्षक अपील पत्रावली पर प्रस्तुत है, अतः कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उसे पत्रावली में यथास्थान संलग्न करे।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के निवेदन अनुसार अपीलार्थी संख्या—1/4 को नोटिस जारी हो। पत्रावली चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/—